पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना
Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS)

➢ पृष्ठभूमिः–

केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2025–26 तक 05 वर्षों की अवधि में विद्युत वितरण क्षेत्र के लिये एक सुधार आधारित और परिणाम से जुड़ी पुनरोत्थान वितरण क्षेत्र योजना (Revamped Distribution Sector Scheme) दिनांक 20, जुलाई–2021 को प्रारम्भ की गई। उत्तराखण्ड राज्य हेतु इसके अन्तर्गत प्रथम स्वीकृति दिनांक 18, जुलाई–2022 को प्राप्त हुई।

24X7 निर्वाध गुणवत्तायुक्त, विश्वसनीय, सस्ती बिजली प्रदान करने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है। इस योजना का उददेश्य वितरण क्षेत्र में कुशल वित्तीय स्थिरता और परिचालन के माध्यम से बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सामर्थ्य में सुधार करना है। यह एक सुधार आधारित और परिणाम से जुड़ी समयबद्ध योजना है। इस योजना में वितरण क्षेत्र के बुनियादीढ़ांचा को मजबूत करना और इसके लिये वितरण कम्पनी को सशक्त एवं दीर्घकालीन वित्तीय सहायता के प्राविधानों से सुधार करना है। यह वित्तीय सहायता पूर्व अर्हता मापदण्डों को पूरा करने और बुनियादी न्यूनतम बैंचमार्क की उपलब्धि पर आधारित है।

अखिल भारतीय स्तर पर योजना का कुल परिव्यय ₹ 3,03,758 करोड़ है जिसमें केन्द्र सरकार की और से अनुमानित ₹ 97,631.00 करोड़ का Gross Budgetary Support (GBS) निर्धारित किया गया है। उत्तराखण्ड राज्य में आतिथि तक ₹ 1821.07 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत हुई है, जिसमें अर्हत मानदंड़ों के पूर्ण किए जाने पर 90% की धनराशि केन्द्र से अनुदान के रूप में प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त स्मार्ट मीटरिंग के कार्य हेतु ₹ 1099.84 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसमें ₹ 247.48 करोड़ अनुदान के रूप में अनुमन्य होगी।

➢ योजना का उद्देश्यः–

योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार है–

- विद्युत वितरण क्षेत्र में वित्तीय रूप से स्थायी और परिचालन रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सामर्थ्य में सुधार करना।
- वर्ष 2024–25 तक AT&C हानियों को अखिल भारतीय स्तर पर 12% -15% के स्तर तक कम करना।
- वर्ष 2024–25 तक ACS-ARR के अन्तराल को कम करके शून्य करना।

➢ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR):-

राज्य के समस्त जनपदो/मण्डलो हेतु केन्द्र की एजेंसी मै0 पी0एफ0सी0 एवं विद्युत मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की निगरानी समिति (Monitoring Committee) द्वारा प्रथम चरण में Metering एवं Distribution Infrastructure Works के सब घटक Loss Reduction Work दिनांक 18.07.2022 को कुल ₹ 2498.31 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसके अतिरिक्त अग्रेतर स्वीकृतियां भी योजना के अन्तर्गत प्राप्त हुई है, जिसका विवरण आगे प्रदान किया गया है।

क्रमशः.....2

➢ योजना के लाभ (Benefits of Scheme):

- योजना की एक प्रमुख विशेषता Prepaid Smart Metering को सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (PPP) मोड में लागू कर उपभोक्ता सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। Smart Meter उपभोक्ताओं को मासिक आधार के बजाय नियमित आधार पर अपनी बिजली की खपत की निगरानी की सुविधा देगा जो उन्हें अपनी जरूरतों के अनुसार और उपलब्ध संसाधनों के सन्दर्भ में बिजली के उपयोग में मदद कर सकेगा।
- स्मार्ट मीटर के उपभोक्ताओं को उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है जहाँ वे ऊर्जा बचत कर सकते है और कुल बिजली खपत को कम कर सकते है।
- स्मार्ट मीटर में किसी प्रकार अप्रत्याक्षित बिल नहीं आता है क्योंकि उपभोक्ता अपनी बिजली के लिए अग्रिम भुगतान करते है।
- प्रीपेड मीटर स्वचालित होने के कारण मीटर रीडिंग की आवश्यकता नहीं है।
- उपभोक्ताओं को बिजली कम्पनी के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि वे अपने द्वारा स्वयं के बिलों का भुगतान कर सकते है, जिससे उपभोक्ताओं का अनावश्यक समय बर्वाद नही होता है एवं समय की बचत होती है।
- चिन्हित ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में कमजोर वितरण प्रणाली में वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण होने के उपरान्त सम्बन्धित क्षेत्रों में 24X7 निर्वाध गुणवत्तायुक्त, विश्वसनीय, विद्युत आपूर्त्ति के साथ–साथ विद्युत हानियों में कमी आयेगी।
- योजना में प्रशिक्षण का भी प्राविधान है जिसमें कि कार्मिकों की क्षमता निर्माण एवं अन्य सक्षम सहायक गति–विधियां सम्पन्न की जायेगी।
- सुरक्षा के दृष्टिगत एल0टी0 ABC Conductor के कार्यों के उपरान्त विद्युत दुर्घटनाओं की सम्भावना में कमी के साथ–साथ बिजली चोरी को भी रोका जा सकेगा, जिससे वितरण कम्पनी के राजस्व में वृद्धि होगी।
- System Meter, Prepaid Smart Meter से प्राप्त डाटा का विश्लेषण IT/OT उपकरणों के माध्यम से किया जायेगा एवं बिलिंग प्रणाली के साथ Integrate किया जायेगा।

➢ योजना के अन्तर्गत निम्न मुख्य कार्य प्रस्तावित हैं:–

- उपभोक्ताओं के परिसर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर की स्थापना का कार्य।
- फीडर मीटरिंग का कार्य।
- वितरण परिवर्तकों की मीटरिंग का कार्य।
- एच0टी0 उपभोक्ताओं का मीटरिंग कार्य।
- LT केबिल को AB केबिल से बदलने का कार्य।

क्रमशः.....3

- फीडरों का पृथक्कीकरण का कार्य।
- DTR Structure तथा क्षतिग्रस्त पोलों को बदलने का कार्य।

➢ <u>स्मार्ट मीटरिंग के कार्य हेतु लक्ष्यः</u>

Sl. No.	Meter Type	Quantity in Nos.
1	Single Phase Whole Current Consumer Meter	1478084
2	Three Phase Whole Current Consumer Meter	99014
3	Three Phase LTCT Consumer Meter	7438
4	Three Phase HTCT Consumer Meter	3334
5	DT Meter	59212
6	Feeder Meter	2602
	Total	**1649684**

➢ <u>स्मार्ट मीटरिंग हेतु वित्तीय स्वीकृतिः</u>

Activity Name	Sanctioned Date	Sanctioned Project Cost	GBS	PMA Charges	GBS for PMA Charges	10% Counter Part fund from State
		(Rs Cr)	(Rs Cr)	(Rs Cr)	(Rs Cr)	(Rs Cr)
Smart Metering Works	05.08.2024	1099.84	247.46	6.19	5.57	0.62

➢ **<u>Loss Reduction</u>** <u>कार्यों हेतु लक्ष्यः</u>

Sr. No.	Loss Reduction Work	Unit	Total Qty
1	Segregation of Agriculture Feeder	Nos	10
2	Bifurcation of existing 33 KV and laying of New feeders for existing Overloaded/Lengthy feeders	CKm	9.1
3	Bifurcation of existing 11 KV and laying of New feeders for existing Overloaded/Lengthy feeders	CKm	425.25
4	Cabling Works	CKm	6,820.57
5	Augmentation/Replacement of aged and old/ frayed Conductors	CKm	1217.77
6	New 33 KV line	CKm	258.9
7	New 11 KV line	CKm	263.15
8	Augmentation of 33 KV Line	CKm	741.7
9	Augmentation of 11 KV Line	CKm	3572.71
10	Replacement of Old aged VCBs	Nos	553
11	Damaged Pole 33 KV Line	Nos	716
12	Damaged Pole 11 KV Line	Nos	3029
13	Damaged Pole LT Line	Nos	4612

क्रमशः.....4

14	Damaged Pole DP Str.	Nos	414
15	Damaged Pole 4 Pole Str.	Nos	57
16	Distribution Transformer Structures	Nos	469

- **Loss Reduction** हेतु वित्तीय स्वीकृतिः

Activity Name	**Sanctioned Date**	**Sanctioned Project Cost**	**GBS**	**10% Counter Part fund from State**	**PMA Charges**	**GBS for PMA Charges**	**10% Counter Part fund from State**
		(Rs Cr)	**(Rs Cr)**	**(Rs Cr)**	**(Rs Cr)**	**(Rs Cr)**	**(Rs Cr)**
Loss Reduction Works	18.07.2022	1262.00	1135.80	126.20	18.93	17.04	1.89
IT/OT Works		164.00	147.60	16.40	2.46	2.21	0.25
LT Auxiliary item for DT SM works	14.01.2025	20.19	18.17	2.02	0.30	0.27	0.03
Total		**1446.19**	**1301.57**	**144.62**	**21.69**	**19.52**	**2.17**

- आर0डी0एस0एस0 के अन्तर्गत अन्य स्वीकृतियांः

i. Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTG): (पी0एम0–जनमन)

Activity Name	**Sanctioned Date**	**Sanctioned Project Cost**	**GBS**	**10% Counter Part fund from State**
		(Rs Cr)	**(Rs Cr)**	**(Rs Cr)**
Particular Vulnerable Tribal Group (PVTG) work under PM-Janman	05.10.2024	0.5916	0.53	0.06

ii. Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTG) की भौतिक प्रगतिः

Sl. No.	**District Name**	**Electrified PVTG HH (Nos.)**
1	Dehradun	462
2	Haridwar	119
3	Nainital	81
4	Udham Singh Nagar	7
Total		**669**

क्रमशः.....5

- PVTG योजना के अन्तर्गत समस्त चिन्हित 669 नं0 लाभार्थियों (बुक्सा तथा राजी जनजाति) को निःशुल्क विद्युत संयोजन निर्गत कर संतृप्त किया जा चुका है।

iii. DAJUGA (धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान)

Activity Name	Sanctioned in MCM /Date	Sanctioned in MCM /Date	Sanctioned Project Cost	GBS	10% Counter Part fund from State
			(Rs Cr)	(Rs Cr)	(Rs Cr)
DA-JGUA (Dharti Aaba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan)	47th MCM held on Dated 21.03.2025	02:10:RDSS:2021:I:UPCL/092119 Date: 26.03.2025	0.90	0.81	0.09

- DAJUGA योजना के अन्तर्गत 226 नं0 (207 नं0 हाउसहोल्ड एवं 19 नं0 पब्लिक इंस्टीटयूशन) लाभार्थियों को निःशुल्क विद्युत संयोजन निर्गत किया जाना है।

iv. Border Out Post (BOPs):

Activity Name	Sanctioned Date	Sanctioned Project Cost	GBS	10% Counter Part fund from State	PMA Charges	GBS for PMA Charges	10% Counter Part fund from State
		(Rs Cr)	(Rs Cr)	(Rs Cr)	(Rs Cr)	(Rs Cr)	(Rs Cr)
Border out Posts work	23.04.2025	327.51	294.76	32.75	4.91	4.42	0.49

- BOP योजना के अन्तर्गत 43 नग बोर्डर आउट पोस्ट जिनमें कि जनपद उत्तरकाशी 10, चमोली 16 एवं पिथौरागढ़ 17 पोस्ट तक विद्युतीकरण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

v. Vibrant Village Program (VVP):

Activity Name	Sanctioned Date	Sanctioned Project Cost	GBS	10% Counter Part fund from State	PMA Charges	GBS for PMA Charges	10% Counter Part fund from State
		(Rs Cr)	(Rs Cr)	(Rs Cr)	(Rs Cr)	(Rs Cr)	(Rs Cr)
Vibrant Village Program work (VVP)	14.03.2024	12.89	11.60	1.29	0.19	0.17	0.02

- VVP योजना के अन्तर्गत 08 नग वाइब्रेंट विलेज जिनमें जनपद उत्तरकाशी को 01 एवं पिथौरागढ़ के 07 गांवों में विद्युतीकरण का कार्य कराये जाने हेतु LOI जारी कर दी गई है।

क्रमशः.....6

➢ **विशेष श्रेणी के राज्यः**

योजना के क्रियान्वयन में उत्तराखण्ड, सिक्किम, उत्तर पूर्वी राज्यों, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, अण्डमान निकोबार द्वीप समूह और लक्ष्यद्वीप के राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेश सहित विशेष श्रेणी के राज्यों के रूप में चिन्हित है। विशेष श्रेणी राज्यों को योजना के अन्तर्गत मानदंडों को पूरा करने पर Loss Reduction कार्यों की स्वीकृति के सापेक्ष 90 प्रतिशत धनराशि अनुदान के रूप में अनुमन्य होगी।

➢ **नोडल एजेंसी**

मै0 आर0ई0सी0, नई दिल्ली एवं मै0 पी0एफ0सी0, नई दिल्ली विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से योजना के क्रियान्वयन हेतु नोडल एजेंसी नामित है जिनके मध्य राज्यों में कार्यों के क्रियान्वयन हेतु बाँटा गया है। मै0 पी0एफ0सी0, नई दिल्ली उत्तराखण्ड राज्य हेतु नोडल एजेंसी नामित की गई हैं।

➢ **पी0एम0ए0:–**

योजना के क्रियान्वयन हेतु मै0 मेद्याज टैक्नों कॉन्सेप्ट प्रा0लि0, लखनऊ को पी0एम0ए0 (Project Management Agency) नियुक्त किया गया है।

➢ **प्रगतिः–**

- **स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग योजना की प्रगति**

  योजना के अन्तर्गत वर्तमान में स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग के लिए AMISP (Advance Metering Infrastructure Service Provider) की नियुक्ति कर गढवाल क्षेत्र में M/s Genus Power Solutions Pvt. Ltd., Rajasthan एवं कुमांऊ क्षेत्र में M/s Adani Energy Solutions Ltd., Gujrat के साथ 06, मार्च–2024 को अनुबन्ध किया जा चुका है। योजना के अन्तर्गत जून 2026 तक स्मार्ट मीटरों का लगाया जाना तथा उसके पश्चात् मार्च 2034 तक AMISP द्वारा इसका O&M सुनिश्चित किया जायेगा।

- **Loss Reduction Works की प्रगति**

  राज्य के अन्तर्गत Loss Reduction में किये जाने वाले कार्यों के अनुबन्ध हेतु समस्त मण्डलों के 12 पैकेजों के अनुबन्ध पश्चात् कार्य गतिमान है जिनका पूर्ण किया जाना जुलाई 2026 तक लक्ष्यान्वित है।

- **आर0डी0एस0एस0 योजना के अन्तर्गत 30, अप्रैल–2025 तक की वित्तीय प्रगतिः–**

Particulars	Received					Total	Expenditure				Total
	FY. 22-23	FY. 23-24	FY. 24-25	CP/ IR Fund	FY. 25-26		FY. 22-23	FY. 23-24	FY. 24-25	FY. 25-26	
RDSS	64.17	2.22	64.17	49.54	-	180.10	3.38	11.38	126.50	38.84	180.10